# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)
## पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

| मिसल नं0 | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 86/दावा/2018 | 18.10.2018 | 06.09.2019 |

1. गिरिराज आ0 गणेश जाति खटीक निवासी केकडी जिला अजमेर (राज0)

.....वादी

बनाम

1. कस्तूरचन्द माली आ0 नन्द लाल जाति माली निवासी ग्राम सेंवर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. दुर्गाशंकर आ0 घासीलाल जाति माली निवासी चमारों का झोपड़ा दिनायका तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादी:– श्री कुलदीप सिंह
अधिवक्ता प्रतिवादी:–

– : : निर्णय : : –

**वाद :– स्थायी निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा**

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है कि:–

1. यह कि जमाबन्दी संवत् 2072–75 की खतौनी संख्या 65 की कृषि भूमि ख0सं0 246 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0सं0 249 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा, ख0सं0 263 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता–3 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम सेंवर पटवार हल्का सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में विस्थित है।
2. यह कि वादी द्वारा वाद वर्णित आराजी में से 1/2 हिस्से को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 14.04.2017 को पूर्व खरीददार पार्वती बाई से खरीद किया गया था और मौके पर कब्जा संभाल लिया था।
3. यह कि वादी वाद पत्र में वर्णित आराजी मे से हिस्से 1/2 का एक मात्र तरहा स्वामी व मालिक है और वादी खरीद करने के बाद से ही अपने खरीद शुद्धा आराजी का उपयोग–उपभोग, काश्त, ज्यारा काश्त आदि निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है।
4. यह कि प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नही है और न ही वादी के हिस्से के समीप प्रतिवादीगण की कोई भूमि नही है फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में अनाधिकृत व अवैधानिक रूप से कब्जा, काश्त करने में अवरोध दखलअंदाजी करने का प्रयास करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।
5. यह कि वादी की खरीद शुद्धा कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण अनाधिकृत व अवैधानिक रूप से जबरन व ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते है तथा उनके द्वारा बार–बार कृषि भूमि में अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है।
6. यह कि वादी कई मर्तबा प्रतिवादीगण से निवेदन कर चुका है कि वह वादी के शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार का अवरोध दखलअन्दाजी नही करे, परन्तु प्रतिवादीगण का प्रभाव होने के कारण कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।
7. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण अपने उद्धेश्य (कब्जा करने में) सफल हो जाते है तो

Scanned by CamScanner

उन्हे आदेशात्मक आज्ञा से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे और न ही प्रतिवादी किसी हिस्से पर कब्जा करें।

8. यह कि दिनांक 9.10.2018 को वादी अपने खरीद शुद्धा भूमि पर गया तो उसने पाया कि प्रतिवादीगण ने उसकी उड़द की बोई हुई फसल को हांककर नष्ट कर दिया और कब्जा करने की नियत से फसल करने का प्रयास कर रहे है। इस पर वादी ने एतराज किया तो प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने व जान से मारने की धमकी दी। यही वाद कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर निम्न आशय की डिक्री पारित किया जावे–

1. यह कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जो कि वे वाद में वर्णित आराजी कृषि भूमि ख0सं0 246 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, ख0सं0 249 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा, ख0सं0 263 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल किता–3 रकबा 26 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम संवर में वादी के खरीद शुद्धा हिस्से 1/2 में काबिज काश्त उपयोग उपभोग, निर्माण कार्य में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा कृषि भूमि के किसी भी भाग पर कब्जा नही करे।
2. यह कि दौराने वाद यदि प्रतिवादीगण कब्जा करने में सफल हो जाते है तो आदेशात्मक आज्ञा से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे।
3. अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो वादी को उपलब्ध करायी जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण की और से कोई जवाब दावा पेश नहीं करने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 65 ग्राम संवर संवत् 2071–74, विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2017, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम संवर की प्रतियॉ पेश की।

वादी वकील की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी वकील ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये वादी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दू यह कि वादी वाद वर्णित कृषि भूमि में निहित 1/2 हिस्से का खातेदार है तथा प्रतिवादी जबरन वादी को बेदखल करने में आमादा हो रहे है। जिसमें प्रतिवादी के विरूद्ध वादी स्थायी निषेधज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी वकील ने दौराने बहस दस्तावेज साक्ष्य नकल जमाबन्दी खाता सं0 65 ग्राम संवर संवत् 2071–74 की और न्यायालय का आकर्षित करवाया कि वाद वर्णित कृषि भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है जिस पर वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। वादी के द्वारा वाद वर्णित भूमि स्वयं के द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2017 से खरीद कर खातेदार बन गया है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है। इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी खाता सं0 65 ग्राम संवर संवत् 2071–74, विक्रय पत्र दिनांक 13.04.2017 से प्रमाणित किया कि वाद वर्णित भूमि वादी की खरीद शुद्धा भूमि है। प्रतिवादी की तरफ से ना तो वादी के वाद पत्र का जवाब पेश किया गया ना ही खण्डनात्मक साक्ष्य पेश किया गया। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को इस आश्य की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नही डाले ऐसा कार्य ना तो स्वयं करे ना ही अन्य से करावे। परिणाम स्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी का वाद वर्णित खातेदारी अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा नही करे, उपयोग, उपभोग में बाधा नहीं डाले उक्त कार्य न तो स्वयं करे न ही अन्य से करवाये। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बूंदी

Scanned by CamScanner